न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः रामचन्द्र खटीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 08/2020

उनवान

श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नि जीतमल खांट तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।

—: प्रार्थीया

बनाम

(1) गोतमलाल पिता पुनिया जाति भील निवासी अरथूना तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
(2) तहसीलदार, अरथूना जिला बांसवाड़ा।

—: अप्रार्थी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 128— भू—राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 28.10.2020

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि वाके ग्राम अरथूना पटवार हल्का अरथूना तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा में स्थित होकर उक्त भूमि के सर्वे नम्बर 2654 रकबा 0.07 हे0, सर्वे नम्बर 2655 रकबा 0.03 हे0 स्थित हैं। जिसका मौका पर्चा दिनांक 24.8.2019 पेश किया जा रहा है। प्रार्थीया की भूमि अप्रार्थी की आराजी कें पड़ोस में है, जिसका सर्वे नम्बर 2653 है। प्रार्थीया की उक्त आराजी की सीमा सम्बन्धी कोई चिन्ह् नही है तथा प्रार्थीया की आराजी के कोई सीमा चिन्ह् नही होने का नाजायज रूप से अप्रार्थी फायदा उठाकर आए दिन सीमा सम्बन्धी विवाद करता रहता है तथा अप्रार्थी को उक्त आराजी की पड़ोस की सीमा जानकारी हेतु कहा गया तो उसने मना कर दिया। जिससे अप्रार्थी रोज प्रार्थी से विवाद करता रहता है तथा प्रार्थीया उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी सीमाकंन कराना चाहती है। प्रार्थीया द्वारा सभी अप्रार्थीगण को पत्थरगढ़ी करवाने हेतु कहा गया परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा मना कर दिया जबकि उक्त सम्पूर्ण आराजीयात पर प्रार्थीया का कब्जा है। इस कारण उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु यह प्रार्थना—पत्र पेश हुआ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जाकर कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया की नही होकर अप्रार्थी की है, लेकिन परथिया दर्जी नाम के व्यक्ति का फर्जी नामान्तरकरण होने से आप न्यायालय में ही मावजी बनाम कन्हैयालाल का वाद विचाराधीन है। प्रार्थीया ने परथिया के वारिस कन्हैया से फर्जी बैचाननामा दौराने वाद करवाया है। मौके पर प्रार्थीया का कब्जा नही है, कब्जा लेनें के लिये सीमाकंन कराकर जमीन हड़पने प्रार्थना—पत्र पैश किया है। आप न्यायालय द्वारा पूर्व में ही मौके पर यथास्थिति के आदेश प्रदान किया गये है। मूल प्रकरण के निस्तारण तक मौके पर सीमाकंन करने से वाद बाहुल्यताऐ बढ़ने की संभावना है। प्रार्थीया का इस भूमि पर कोई हक व अधिकार नही है। जब तक प्रार्थीया को जिस व्यक्ति ने भूमि विक्रय की है उसका अधिकार साबित नही हो होकर मूल प्रकरण का निस्तारण नही हो जाता सीमाकंन संभव नही है। प्रार्थीया मात्र पेपर में स्वामी है मौके पर कोई हक व अधिकार नही है। जिस कारण प्रार्थीया का प्रार्थना—पत्र सव्यय खारिज फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब प्रस्तुत होने पर दोनों पक्षो के अभिभाष्कगण की वहस सुनी जाकर बहस पर मनन करने तथा पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र एंव अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से प्रस्तुत जवाब का संक्षिप्त अवलोकन किया जाने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहॅचा हैं कि प्रार्थीया द्वारा जिस भूमि के सीमाकंन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसका अन्य वाद न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र प्रार्थीया के पक्ष में निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2020 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.01.29 12:44:41 IST
Reason: SelfAttested

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Scanned by CamScanner